साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 31 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 20 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

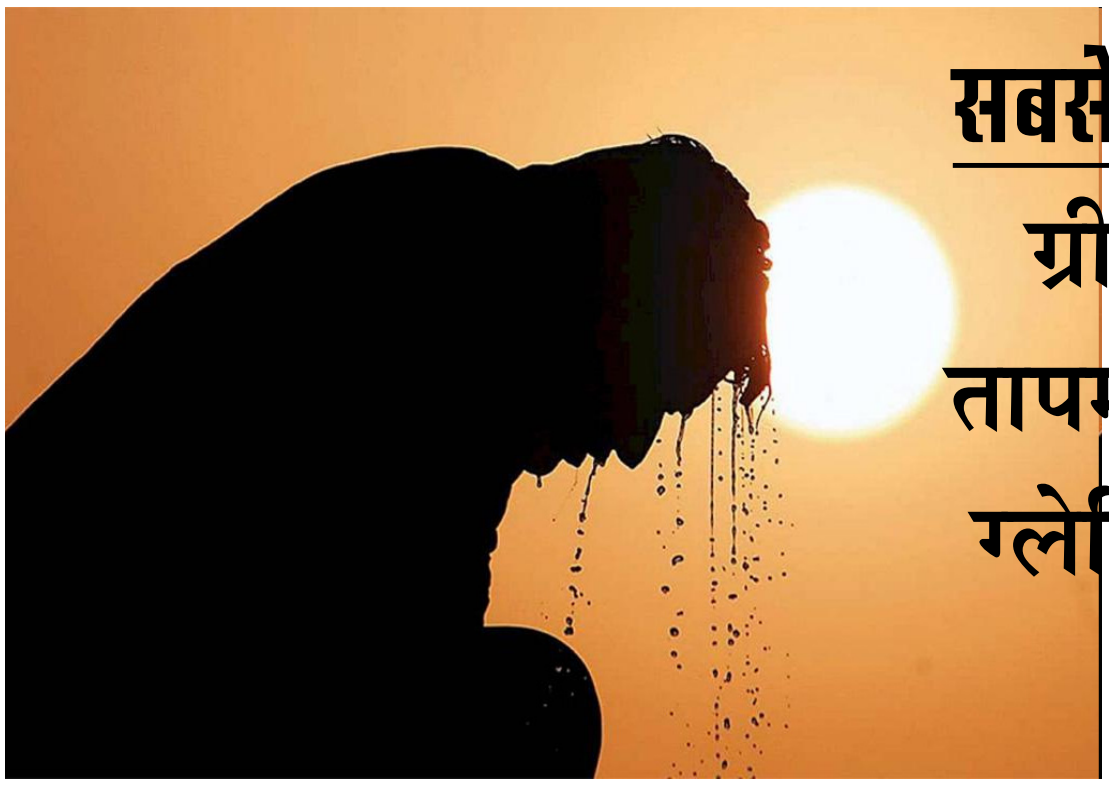

सबसे गर्म साल रहा 2023

ग्रीनहाउस गैस, सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी व ग्लेशियर के पीछे हटने के सारे रिकॉर्ड टूटे

नई दिल्ली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनहाउस गैस के स्तर, सतह के तापमान, समुद्र की गर्मी और अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के आवरण और ग्लेशियर के पीछे हटने के रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गए हैं।

डब्ल्यूएमओ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट के अनुसार, साल भर लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और तेजी से बढ़ते उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने तबाही मचाई, जिससे लाखों लोगों का रोजमर्रा का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और कई अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। डब्लूएमओ की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि साल 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत सतह के पास का तापमान पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस था। यह रिकॉर्ड पर दस साल की सबसे गर्म अवधि थी। एक प्रेस विज्ञप्ति में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सभी प्रमुख संकेतकों पर सायरन बज रहे हैं। लगभग सभी संकेतकों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो दर्शाता है कि परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि साल 2023 में हमने जो देखा, खासकर समुद्री गर्मी, ग्लेशियरों का पीछे हटना और अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का नुकसान ये सब बड़ी चिंता का सबब बन गए हैं। साल 2023 में वैश्विक महासागर का लगभग एक तिहाई हिस्सा समुद्री लू की चपेट में आ गया, जिससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचा और 2023 के अंत तक 90 प्रतिशत से अधिक महासागरों ने साल के दौरान लगभर हर रोज लू की स्थिति का सामना किया। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों में साल 2023 के दौरान 1950 के बाद से लेकर अब तक का बर्फ का सबसे बड़ा नुकसान झेला। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 1850-1900 औसत के सापेक्ष में 1850 से 2023 तक वैश्विक औसत तापमान अंतर डेटा सेट की तुलना करने पर पता चलता है कि दुनिया भर में गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले 14.9 करोड़ लोगों से बढ़कर 2023 में 33.3 करोड़ लोगों (विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निगरानी किए गए 78 देशों में) तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, मौसम और जलवायु की चरम सीमाएं मूल कारण नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे गंभीर कारक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मौसम संबंधी खतरों के कारण विस्थापन जारी रहा, जिससे पता चलता है कि कैसे जलवायु के झटके कमजोर लोगों को और कमजोर करते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जो मुख्य रूप से सौर विकिरण, हवा और जल चक्र की गतिशील शक्तियों द्वारा संचालित है। डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता के लिए जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे बढ़ गया है। 2023 में, 2022 की तुलना में नवीकरणीय क्षमता में लगभग 50त्न की वृद्धि हुई, कुल 510 गीगावाट (जीडब्ल्यू) - जो पिछले दो दशकों में देखी गई उच्चतम दर है। इस सप्ताह 21-22 मार्च को कोपेनहेगन जलवायु मंत्रिस्तरीय में, दुनिया भर के जलवायु नेता और मंत्री त्वरित जलवायु कार्रवाई पर जोर देने के लिए कॉप28 के बाद पहली बार दुबई में एकत्रित होंगे। फरवरी 2025 की समय सीमा से पहले देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को बढ़ाना एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, साथ ही राष्ट्रीय योजनाओं को कार्रवाई में बदलने के लिए सीओपी29 में वित्तपोषण पर एक महत्वाकांक्षी समझौता करना होगा।

वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के लिए समय पर जारी की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डब्ल्यूएमओ द्वारा 21 मार्च को शुरू किए जाने वाले एक नए जलवायु कार्रवाई अभियान के लिए भी परिदृश्य तैयार करता है। यह 21-22 मार्च को कोपेनहेगन में एक जलवायु मंत्रिस्तरीय बैठक में चर्चा की जानकारी देगा।

लंबी अवधि की धान का मोह क्यों नहीं छोड़ रहे पंजाब के किसान?

नई दिल्ली। आने वाले खरीफ सीजन ने पंजाब में मालवा के किसानों को अभी से दुविधा में डाल दिया है। किसानों के बीच यह असमंजस दशकों से इस्तेमाल हो रही लंबी अवधि वाली धान की वेराइटी पूसा 44 को लेकर है। दरअसल, 7 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर रोक न लगाने के लिए न सिर्फ फटकारा था बल्कि बिना नाम लिए पंजाब में उगाई जाने वाली धान की एक खास किस्म को रोकने की तरफ इशारा भी किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह इशारा शायद पूसा 44 की तरफ ही था, क्योंकि इससे पहले 4 अक्टूबर, 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मंच से कहा कि वह अगले खरीफ सीजन से पूसा 44 पर पूरी तरह बंदिश लगा देंगे क्योंकि यह वेराइटी न सिर्फ पंजाब के भूजल की स्थिति को खराब कर रही है बल्कि ज्यादा पराली से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।

करीब तीन दशकों से पंजाब के खासतौर से मालवा क्षेत्र के खेतों में गैर बासमती धान में लंबी अवधि वाली वेराइटी पूसा 44 राज कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई अब पूसा-44 पंजाब के मालवा क्षेत्र से गायब हो जाएगी? खेतों में पारंपरिक यूरिया डालने की तैयारी करते हुए पंजाब में पटियाला जिले के ककराला गांव के तेजपाल डाउन टू अर्थ से कहते हैं कि हम पूसा 44 वेराइटी लगाना नहीं छोड़ सकते। धान की इस वेराइटी में भले ही ज्यादा पानी और ज्यादा समय लगता है लेकिन इसमें हमारी ज्यादा उपज की गारंटी होती है। दूसरी और वेराइटियों पर इतनी जल्दी हम भरोसा नहीं कर सकते। सरकार यदि पूसा 44 पर बंदिश लगाती भी है तो हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी यह पेट का सवाल है।

तेजपाल एक सवाल खड़ा करते हैं कि जब ज्यादा पैदा करना था, उस वक्त हरित क्रांति का नारा देकर हम पंजाब के किसानों को ज्यादा उपज वाली किस्में मुहैया कराई गई थीं। क्या तब हमारी खेती किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी? एक लंबा अरसा बीत गया है और अब अचानक हमें बिना ठोस विकल्प के भरोसेमंद किस्मों को बंद करने या बदलने की बात कही जा रही है। मालवा क्षेत्र के कई किसान डाउन टू अर्थ से बताते हैं कि 160 दिन में तैयार होने वाली पूसा 44 प्रति एकड़ 40 क्विंटल तक पैदा होती है जबकि 123 दिन में तैयार होने वाली पीआर 126 अधिकतम 35 क्विंटल तक पैदावार दे रही है। पांच क्विंटल तक का अंतर है। इस नुकसान की भरपाई के लिए उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है।

मालवा क्षेत्र के ही एक और जिले संगरूर के कुंद्रा गांव में डाउन टू अर्थ से युवा किसान यादवेंद्र सिंह बताते हैं कि हम जमीदारों से 10 हजार रुपए में एक किल्ला यानी एक एकड़ खेत ठेके पर लेते हैं। ठेके के पैसे निकालने और अपनी मेहनत का नतीजा लेने के लिए यदि हम ज्यादा उपज वाली किस्में नहीं लगाएंगे तो क्या करें? वह बताते हैं कि दो-तीन साल से लुधियाना स्थित पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) की छोटी अवधि वाली पीआर 126 वेराइटी मालवा क्षेत्र में बढ़ी है। हालांकि इसकी उपज पूसा 44 के मुकाबले अब भी कम है। यादवेंद्र बताते हैं कि पूसा 44 भले ही ज्यादा समय, पानी और बिजली की खपत करती है लेकिन आज भी अनाज मंडी और चावल मिलों की यही पसंद बनी हुई है। इसके दाने टूटते नहीं, जबकि छोटी अवधि वाली किस्मों के दाने टूट जाते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पराली प्रबंधन को लेकर 19 नवंबर, 2018 को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली नाम की योजना के तहत समीक्षा के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसने 1 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि पंजाब में 3,600 धान मिलों का नेटवर्क है। बरनाला के धनौला मंडी के 74 वर्षीय किसान नजर सिंह डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि चावल मिलों का यहां दबदबा है। पूसा 44 लगाने की एक प्रमुख वजह यह भी है। वह बताते हैं कि पूसा 44 के अलावा जो अन्य वेराइटियां हैं, उनमें नमी की अधिकता होती है जिससे चावल का भाव खराब हो जाता है। इसलिए अभी इसे हम नहीं छोड़ेंगे। हमने सुना है कि सरकार इसे बंद करना चाहती है लेकिन आने वाले सीजन के लिए हमने बीज बचाकर रखे हैं।

नजर सिंह एक और मुसीबत की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। वह बताते हैं कि पूसा 44 को इसलिए भी किसानों को मना किया जा रहा है क्योंकि उससे ज्यादा पराली होती है जबकि पराली को काटने वाली जो मशीने हैं वह न सिर्फ कम हैं बल्कि उनसे जिन खेतों में कटाई होती है अगर वहां आग न लगाने के कारण बिजाई के बाद धान की फसलों में कीड़े लग जाते हैं। वह बताते हैं कि यदि मशीनें पराली के ऊपर वाले हिस्से (जिसमें पत्ते होते हैं) को काटे तो हम ठूंठ में आग लगाएंगे जिससे धुएं का प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा और हमारे खेत भी बढ़िया रहेंगे। वह बताते हैं कि पूसा 44 के प्लांट की ऊंचाई 3.5 फुट होती है जिससे ज्यादा पराली निकलती है जबकि पीआर 126 की ऊंचाई करीब 2.5 फुट व पीआर 128 की ऊंचाई तीन फुट के आसपास है। कंसर्न एंड क्योर्स में किसानों की चावल संबंधी इन परेशानियों को स्वीकार करते हैं। अध्ययन कहता है कि किसानों पर मिलर्स के मुताबिक, चावल की गुणवत्ता बरकरार रखने का दबाव है। हालांकि, वह धान की पैदावार के चलते पर्यावरणीय परेशानियों का भी जिक्र करते हैं। मसलन, पंजाब में प्रतिवर्ष 0.51 मीटर की दर से भूजल नीचे गिर रहा है और कुछ जिलों में यह सालाना 1 मीटर की दर तक पहुंच गया है। इसकी प्रमुख वजह धान के लिए पानी की बढ़ती मांग है। वहीं, अध्ययन के मुताबिक बरनाला, भटिंडा, लुधियाना, मनसा, मोगा, मुक्तसर और संगरूर में 40 से 60 फीसदी तक क्षेत्र लंबी अवधि वाली वेराइटी वाला है। अध्ययन में पीआर 126 और पीआर 121 जैसी किस्मों को बढ़ावा देने की बात कही गई है और एक हिसाब लगाया गया है कि पीआर 126 लगाने से किसान को प्रति एकड़ 176 रुपए और पीआर 121 लगाने से प्रति एकड़ 278 रुपए की बचत हो सकती है। हालांकि, मालवा क्षेत्र में किसानों की पसंद पूसा 44 ही बनी हुई है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से गठित छह सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि पूसा 44 किसानों को इसलिए ज्यादा पसंद हैं क्योंकि यह अन्य किस्मों की तुलना में प्रति हेक्टेयर दो कुंतल ज्यादा उपज देती है। हालांकि इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डाउन टू अर्थ ने पाया कि 2019 के बाद पंजाब में पूसा 44 को हतोत्साहित करने के जो भी प्रयास हुए, उसके नतीजे अभी उत्साहवर्धक नहीं हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के 2019 से 2023 की धान क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, पंजाब में करीब 40 फीसदी से अधिक बुआई गैर-सिफारिशी श्रेणी की है। इसमें पूसा 44 का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में 58.18 फीसदी धान सिफारिश श्रेणी में था और 41.82 फीसदी धान गैर सिफारिशी श्रेणी में था। वहीं, इस पांच वर्ष की अवधि में राज्य में कुल 26 फीसदी पूसा 44 के क्षेत्र में कमी आई हालांकि बरनाला, पटियाला, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला में पूसा 44 का वर्चस्व बना हुआ है। मालवा के संगरूर में भी पूसा 44 में कमी आई है लेकिन अब भी रकबा काफी है

भारत में सिकुड़ रहा बसंत, देश के कई हिस्सों में समय से पहले दिखने लगा गर्मी का कहर

भोपाल। मार्च का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। हालात यह है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को केरल और रायलसीमा क्षेत्र के लिए लू और उमस के चलते पीला (येलो) अलर्ट तक जारी करना पड़ा है। एक तरफ जहां बसंत का मौसम तेजी से घट रहा है, वहीं गर्मी के महीने समय से पहले शुरू हो रहे हैं।

यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि देश में जलवायु में आता बदलाव भारत में मौसम पर अपना असर दिखाने लगा है। जलवायु वैज्ञानिकों का भी कहना है कि भारत में लू का प्रकोप समय के साथ और भीषण रूप ले लेगा। इस बारे में क्लाइमेट ट्रेंड्स ने प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए लिखा है कि जैसे-जैसे जलवायु में आते बदलावों के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, देश भर में स्थानीय मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि गर्मी के महीनों की शुरूआत समय से पहले हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार ऐसा ही कुछ जनवरी 2024 में देखा गया जब पश्चिमी हिमालय में पिछले 100 वर्षों में दूसरी सबसे कम बारिश (पांच सेमी) दर्ज की गई। गर्मी के महीनों की जल्द शुरूआत की आशंका जताते हुए आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि आईएमडी इस वर्ष से गर्मी के खतरे की स्थिति को लेकर चेतावनी की शुरूआत कर रहा है। उनके मुताबिक गर्मी का पूर्वानुमान जो एक अप्रैल से जारी किया जाता था, वो उसके बजाय एक मार्च से जारी किया जाएगा। डॉक्टर कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि भारत के सभी हिस्सों में गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार मार्च में, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में उच्च तापमान अनुभव किया जाएगा। आईएमडी ने केरल और रायलसीमा में बढ़ते तापमान और आद्रता को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, साथ ही आर्द्रता के भी अधिक रहने का अनुमान है। क्लाइमेट सेंट्रल से जुड़े डॉक्टर एंड्रयू पर्सिंग, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि अल नीनो की स्थितियां अब पहले की तुलना में कहीं अधिक गर्म हैं। उनके मुताबिक अध्ययन से पता चलता है कि शरद ऋतु सभी मौसमों में सबसे तेजी से गर्म हो रही है। यह भी सामने आया है कि भारत के पश्चिमी हिस्सों में सर्दियों के दौरान फरवरी और जनवरी के बीच गर्मी के रुझान में काफी अंतर होता है। गर्म मौसम की स्थिति में तेजी से बदलाव की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे बसंत का मौसम सिकुड़ रहा है। बता दें कि गर्मियों की शुरूआत के साथ ही इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं कि अधिकारी इस मुद्दे से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के क्लाइमेट रेसिलिएंस और स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रमुख अभियंत तिवारी का दावा है कि देश में भेद्यता सूचकांक पर अभी काम किया जा रहा है। इसकी कार्य योजना के विस्तार और इसके लिए बजट का पता लगाने के लिए विभिन्न विभागों में योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है।

उनके मुताबिक दिन और रात दोनों के दौरान उच्च तापमान के साथ-साथ, अधिकांश आबादी के पास अपने आप को ठंडा रखने और बेहतर वेंटिलेशन से जुड़ी सुविधाओं का आभाव है, जिसके चलते देश में स्थिति चुनौतीपूर्ण है। बता दें कि क्लाइमेट ट्रेंड्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर जेम्स पेंटर के नेतृत्व में भारत में बढ़ते लू के कहर को लेकर यह नया अध्ययन जारी किया है। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2022 के दौरान देश में हुए लू के प्रकोप को भारतीय मीडिया ने कैसे कवर किया है, उसका भी विश्लेषण किया है। इस अध्ययन के मुताबिक जहां अंग्रेजी अखबारों के साथ-साथ समाचार वीडियो ने अपनी खबरों में लू को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 14 फीसदी अंग्रेजी समाचार लेखों और 24 फीसदी वीडियों में लू और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंधों को उजागर किया है।

वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी समाचार रिपोर्टों की संख्या कम थी जिन्होंने लू को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा है। उदाहरण के लिए हिंदी में यह आंकड़ा सात फीसदी, मराठी में छह फीसदी, जबकि तेलुगु में महज तीन फीसदी था।

इसी तरह जहां अधिकांश भारतीय मीडिया ने जलवायु परिवर्तन को समझाने के लिए ज्यादातर वैज्ञानिकों, मौसम विज्ञानियों और वैज्ञानिक संगठनों पर भरोसा जताया है। उनके इस दृष्टिकोण ने लू के लिए पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन को दोषी ठहराने जैसे गलत बयान देने की संभावना को कम कर दिया है। हालांकि, हिंदी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस मुद्दे को द्विआधारी बयानों की मदद से सरल बनाने में लगा हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के रिसर्च एसोसिएट और अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जेम्स पेंटर का कहना है कि जलवायु विज्ञान से पता चलता है कि भारत में गर्मी की लहरें और अधिक विकराल रूप ले सकती हैं। उनके मुताबिक रिपोर्ट इंगित करती है कि भारतीय पत्रकार दुनिया के अन्य पत्रकारों की तरह ही लोगों को जलवायु परिवर्तन और इन विनाशकारी लू की घटनाओं के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं।

जयपुर की नाहरगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी में व्यावसायिक गतिविधियां, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

जयपुर राजस्थान के चर्चित पर्यटन स्थल नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की शिकायत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से की गई है। इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को हुई और एनजीटी ने शिकायत की जांच करने का निर्देश जारी किया है। शिकायत में कहा गया है कि ये व्यावासयिक गतिविधियां बिना मंजूरी के चल रही हैं। एनजीटी ने राजस्थान के वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगे निर्देश दिया है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और दिशानिर्देश और वन अधिनियम और पर्यावरण नियमों के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और नाहरगढ़ अभयारण्य को अतिक्रमण से बचाया जाना चाहिए। एनजीटी ने यह भी कहा कि अभयारण्य का सीमांकन करने के लिए खंभे और तारें लगाए जाएं और सुरक्षा की कार्रवाई तुरंत की जाए। साथ ही, वन विभाग और वन्यजीव अभ्यारण्य के जिला स्तरीय अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना पर ध्यान क्यों नहीं दिया और इन नियमों के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है. यदि कोई निर्माण हो रहा है तो उस जिले के जिम्मेदार अधिकारी जिसके कार्यकाल में वह निर्माण कराया गया है, को संज्ञान में लिया जाए और नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। एनजीटी ने कहा कि अधिसूचना और दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य की रक्षा करना है, जिसे तुरंत लागू करने की आवश्यकता है और दो महीने के भीतर आगे की कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जांच रिपोर्ट (जांच अधिकारी) का तर्क यह था कि वन अधिकारी वन्यजीव अभयारण्य की सुरक्षा में सहयोग नहीं कर रहे थे और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी के बिना अभयारण्य के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थीं।

हाईकोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को झटका, रद्द हुई पर्यावरण मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना

तिरुवन्तपुरम। केरल हाईकोर्ट ने 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक शेडों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने से छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 2014 पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना को रद्द कर दिया क्योंकि यह इसके मसौदा संस्करण से अलग थी। दरअसल इस मसौदा संस्करण के तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक शेडों को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी थी। अदालत का 6 मार्च का आदेश एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर आया था।

याचिका में दलील दी गई थी कि मसौदा अधिसूचना में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत आने वाली परियोजना या गतिविधियों में आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन, होटल, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय ब्लॉक, सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर विकास इकाइयाँ या पार्क इसमें शामिल होंगे। हालाँकि, अंतिम अधिसूचना में औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास जैसी कुछ इमारतों को बाहर रखा गया था। एनजीओ ने कहा था कि 2014 की अंतिम अधिसूचना के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को केवल दो महीने की अवधि के लिए पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन का वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित करना था। परिणामस्वरूप, अधिसूचना की आड़ में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और साल 2006 में जारी मूल ईआईए अधिसूचना का पूर्ण उल्लंघन करते हुए परमिट दिए जा रहे थे। यह सारा दावा दलील में किया गया था। अपने फैसले का बचाव करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तर्क दिया था कि पहले एक निर्मित क्षेत्र वाली लगभग सभी इमारतों को पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक था। बाद में, अंतिम अधिसूचना में औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास जैसी इमारतों को छूट दी गई थी। इसमें तर्क यह था कि यह बदलाव इन इमारतों में की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। इसलिए, जहां तक पर्यावरण का सवाल है, जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र के रुख से असहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि उसकी राय है कि रिट याचिका पर विचार की जरूरत है। इसलिए इसकी अनुमति दी जाती है। 22 दिसंबर 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है।

काटली नदी अवैध खनन और अतिक्रमण मामले में एनजीटी ने समिति से तलब की रिपोर्ट

जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पांच सदस्यीय समिति को काटली नदी के किनारे अवैध खनन और गैरकानूनी अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला राजस्थान का है, जहां आवेदन में काटली नदी के किनारे हुए अवैध खनन और अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। काटली नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के सीकर में गणेश्वर की पहाड़ियां हैं। यह नदी सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चुरू से होकर बहती है।

गौरतलब है कि नदी तल में हो रहे अवैध खनन के चलते काटली बुरी तरह प्रभावित है। अवैध खनन के चलते नदी तल में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त, नदी के किनारे अनधिकृत निर्माण इसके प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। इसके अलावा, कई स्थानों पर नदी के आसपास के किसानों ने खेती के लिए नदी तल पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बारिश के पानी का प्रवाह बाधित हो गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है, काटली नदी में इस गिरावट से पानी की कमी और भूजल में गिरावट की समस्या भी पैदा हो गई है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भूजल में भी गिरावट आ रही है, नतीजन लोगों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसे तरीकों की मदद लेनी पड़ रही है जो पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं है। दार्जिलिंग के अमोर ज्योति ग्राम में डंपिंग स्थल पर कचरे के कुप्रबंधन की शिकायत मिलने के बाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दार्जिलिंग नगर पालिका, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन सभी को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आवेदन में लगाए आरोपों की सत्यता की जांच के लिए एक समिति के गठन का भी आदेश दिया है। इस समिति में पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के साथ कलेक्टर के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। कोर्ट ने इस समिति साइट का दौरा करने के बाद चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि इस मामले में 18 मार्च, 2024 को सुभाष दत्ता द्वारा एनजीटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन में उन्होंने दार्जिलिंग शहर में पहाड़ियों के नीचे फेंके जा रहे ठोस कचरे की समस्या पर प्रकाश है। आरोप है कि यह कचरा अंततः भूमिगत जल प्रणाली में मिल रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त, आवेदन में 28 जनवरी, 2024 को अमोर ज्योति ग्राम में कचरा डंपिंग स्थल पर आग लगने का भी उल्लेख किया है। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था, यह आग कम से कम 15 दिनों तक जलती रही थी। आवेदक ने आसपास के झरनों और नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए पहाड़ी ढलान पर ठोस कचरे की डंपिंग को रोकने के उपाय करने का अनुरोध किया है। यह प्रदूषण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008